न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— सत्यनारायण आचार्य, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 43 / 2012

तारीख दायरा—17.09.2012

तारीख निर्णय—07.01.2016

1. श्री किशनलाल पिता मोतीलाल तेली निवासी धीरजी का गुडा तहसील गोगुन्दा।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री मोहनलाल पिता मीयाराम तेली निवासी धीरजी का गुडा तहसील गोगुन्दा।
2. श्री वजेराम पिता मीयाराम तेली निवासी धीरजी का गुडा तहसील गोगुन्दा।
3. श्री मॉगीया पिता मीयाराम तेली निवासी धीरजी का गुडा तहसील गोगुन्दा।
4. श्री शंकरलाल पिता मोहनलाल तेलीं निवासी धीरजी का गुडा तहसील गोगुन्दा।
5. श्री प्रेमचन्द्र पिता शंकरलाल तेली निवासी धीरजी का गुडा तहसील गोगुन्दा।
6. श्री बन्शीलाल पिता शंकरलाल तेली निवासी धीरजी का गुडा तहसील गोगुन्दा।
7. श्री महेन्द्र कुमार पिता शंकरलाल तेली निवासी धीरजी का गुडा तह0 गोगुन्दा।
8. श्री धर्मेश पिता वजेराम तेली निवासी धीरजी का गुडा तहसील गोगुन्दा।
9. श्री बबलू उर्फ बाबूलाल पिता मांगीलाल तेली निवासी धीरजी का गुडा।
10. श्री मीठालाल पिता मांगीलाल तेली निवासी धीरजी का गुडा तहसील गोगुन्दा।
11. श्री भुरीलाल पिता खमाणा तेली निवासी धीरजी का गुडा तहसील गोगुन्दा।
12. श्री कमलेश पिता भुरीलाल तेली निवासी धीरजी का गुडा तहसील गोगुन्दा।
13. श्री भेरूलाल पिता भुरीलाल तेली निवासी धीरजी का गुडा तहसील गोगुन्दा।
14. श्री वेणीराम पिता लालुराम तेली निवासी धीरजी का गुडा तहसील गोगुन्दा।

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

उपस्थित— वादी की ओर से— श्री प्रणव सनाढ्य

प्रतिवादी की ओर से— श्री राजवीरसिंह झाला

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा धीरजी का गुडा पटवार मण्ड़ल मजावडी में प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित है, जिसके आराजी संख्या 36 मीन, 367 / 36, 368 / 37 एवं 41 मीन किता 04 कुल रकबा 1.0650 हैक्टयर है। आराजी संख्या 36 से 41 व 52 किता सात कुल रकबा 4.3400 है0 भूमि पूर्व में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 14 के संयुक्त खातेदारी में होकर प्रार्थी व विपक्षीगण का संयुक्त कब्जा था। प्रार्थी द्वारा जरिये प्रकरण संख्या 87 / 2007 राजस्व वाद निर्णय दिनांक 03.09.2008 बहक वादी के द्वारा न्यायालय उप

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला उदयपुर

जिलाधीश गिर्वा द्वारा प्रकरण फैसल कर अन्तिम रूप से नियमानुसार बंटवाडा कर जरिये इन्तकाल नम्बर 39 दिनांक 07.09.2009 के द्वारा वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज की गई, जिस पर प्रार्थी आज दिन तक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी शान्तिप्रिय व्यक्ति होकर उनका न्याय एवं कानून में पूर्ण विश्वास है, जबकि विपक्षीगण अशान्तिप्रिय व्यक्ति होकर अपने धन व बल के आधार पर प्रार्थी की उपरोक्त आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते है, ऐसी स्थिति में यदि उन्हे अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका ऐवजाना नकदी में कतई सम्भव नही होगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजी में विपक्षीगण प्रवेश नही करें, प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में दखलंदाजी नही करें। साथ ही प्रार्थीगण को मौके से बेदखल नही करें। उक्त कृत्य न तो स्वयं करें न अपने नौकर, ऐजेण्ट, रिश्तेदार आदि से ही करावें इस तरह की अस्थाई निषेधाज्ञा विपक्षीगण के विरूद्व जारी फरमायी जाने का आदेश करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। विपक्षीगण ने प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं समस्त विपक्षीगण की आराजी नम्बर 36 से 41 व 52 किता सात कुल रकबा 4.3400 है0 के संयुक्त खातेदार थे, जिस माफिक अपने–अपन बनने वाले हिस्से पर अपने बाप दादाओं के समय से जरिये मौखिक बंटवाडे के अनुरूप काबिज थे, जो आज दिनांक को भी काबिज हो शांतिपूर्वक रूप से काश्त कर रहे है और जहां तक प्रकरण संख्या 82/2007 निर्णय दिनांक 03.09.2008 की बात है। उक्त प्रकरण निर्णय पश्चात विपक्षीगण द्वारा माननीय न्यायालय भू– प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की जो जैर ट्रायल है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। मौजा धीरजी का गुडा पटवार क्षेत्र मजावडी तहसील गोगुन्दा की आराजी नम्बर 36 मीन, 367/36, 368/37 एवं 41 मीन किता 04 कुल रकबा 1.0650 हैक्टयर भूमि के प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि विपक्षीगण, प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी पैदा करते है एवं प्रार्थी को उक्त आराजी से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के खातेदार है एवं कब्जा भी प्रार्थी का होना प्रतीत होता है। विपक्षीगण द्वारा प्रकरण संख्या 82/2007 के निर्णय के विरूद्व जो अपील प्रस्तुत की थी वह भी माननीय न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अगर विपक्षीगण

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला उदयपुर

द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी की जाती है तो अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण को होने वाली है। ऐसी स्थिति में विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा धीरजी का गुडा पटवार क्षेत्र मजावडी तहसील गोगुन्दा की आराजी नम्बर 36 मीन, 367/36, 368/37 एवं 41 मीन किता 04 कुल रकबा 1.0650 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी पैदा नही करने, भूमि में प्रवेश नही करने एवं प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल नही करने बाबत् विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। उक्त कृत्य न तो विपक्षीगण स्वयं करें एवं न ही अपने नौकर, ऐजेण्ट, रिश्तेदार आदि से ही करावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर मूल वादपत्र के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आचार्य)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा–उदयपुर